निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 662) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
7 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–04/2013/834—श्री सुमन कुमार, (आई0 डी0–3590), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 72 दिनांक 16.01.2014 द्वारा निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई:–

1. आपके सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के अवर प्रमंडल संख्या–1 में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन के दौरान कार्य स्थल की सूचना कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को उपलब्ध नहीं कराना आपकी कार्य में अभिरूचि नहीं रखने को प्रमाणित करता है। उक्त पदस्थापन के दौरान आपके द्वारा मलई बराज का सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया और न ही विभिन्न संरचनाओं एवं पहूँच पथ, कार्यालय भवन स्थल पर डोरमैट्री, खलासी शेड आदि का प्राक्कलन समर्पित किया गया।

2. आपके द्वारा रूपांकण आंकड़ा संग्रहण, बराज के फ्रीन लाईन का डिमार्केशन तथा डूब क्षेत्र का सर्वेक्षण करने से इंकार किया गया एवं भू–अर्जन प्लान बनाकर समर्पित नहीं किया गया।

3. आपके अक्सर पटना में रहने के कारण मलई बराज निर्माण कार्य में बाधा पहुँची एवं परोक्ष रूप से मलई बराज के निर्माण कार्य में बाधा पहुँचाने की नियत से उच्छृंखल एवं अनुशासनहीन कर्मचारियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करने में आपकी संलिप्तता पाई गई है।

4. आपके द्वारा माननीय मंत्री, उद्योग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को सीधे आवेदन देकर अपने उपर लगे आरोपों से मुक्त होने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध है।

इस प्रकार वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य में लापरवाही, महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, अपने उपर लगे आरोपों से मुक्त होने के लिए गलत तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने एवं मंत्री पद की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करने के लिए आप दोषी हैं।

उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में केवल आरोप संख्या–4 को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सरकार के स्तर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि अनुशासनहीनता के संबंध में लिखित साक्ष्य नहीं रहने के आधार पर इसे क्षम्य नहीं किया जा सकता। उक्त मामले में दिनांक 11.06.2013 को हुई मुख्य अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता द्वारा

बताया गया कि बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद कतिपय सहायक अभियंताओं द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य पदाधिकारियों में भी हतोत्साह की भावना उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा हरेक कार्य/निदेश के लिए लिखित पत्र निकाला जाय और हरेक अवहेलना पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाय।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुमन कुमार (आई0 डी0–3590), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को उनकी अनुशासनहीनता के प्रमाणित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–4 को प्रमाणित पाए जाने से सहमत होते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1980 दिनांक 17.12.2014 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया।

(i) निन्दन वर्ष 2013–14

(ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि विभाग द्वारा जिन तथ्यों को आधार बनाकर निलंबित किया गया एवं विभागीय कार्यवाही चलाई गई उसे संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया। केवल राजनीतिक दबाव बनाने की बात को प्रमाणित पाया गया। इस संबंध में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जब तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री आदित्य नारायण झा 'अनल' को यह पता चला कि उन्हें (श्री कुमार) डी0 पी0 सी0 की बैठक में प्रोन्नति के योग्य पाया गया है तो श्री अनल द्वारा श्री कुमार पर पूर्व की तिथि में कार्यादेश प्राप्त कर बोल्डर आपूर्ति की मापी पुस्त पर बिना मापी लिए हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया। श्री कुमार के इंकार करने पर कार्यपालक अभियंता श्री अनल द्वारा विभागीय मिटिंग में शिकायत करने/करवाने की धमकी दी गई एवं इसे अमली जामा भी पहनाया गया।

आगे श्री कुमार द्वारा बताया गया है कि निलंबन की सूचना प्राप्त होते ही वे नर्वस हो गए थे और इसी मनःस्थिति में अपने क्षेत्र की नेता को सारी बातें लिखित में दीं। इसके लिए उनके द्वारा खेद व्यक्त करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृति न करने की बात कही गई है।

श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में दिए गए तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री कुमार के कथनानुसार उनकी प्रोन्नति को बाधित करने के उद्धेश्य से तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री आदित्य नारायण झा 'अनल' द्वारा षडयंत्र के तहत उन्हें निलंबित करवाया गया तथा विभागीय कार्यवाही चलवायी गई परन्तु एक वरीय पदाधिकारी द्वारा अपने कनीय पदाधिकारी की प्रोन्नति बाधित करने का षडयंत्र करना तथ्य से परे है और यदि ऐसा किया गया था तो इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक 11.06.2013 की बैठक के पूर्व कभी भी न तो मुख्य अभियंता को और न ही विभाग को उनके द्वारा सूचित किया। निलंबित किए जाने एवं विभागीय कार्यवाही के पश्चात अपने वरीय पदाधिकारी पर इस प्रकार दोषारोपण करना किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। इस अभ्यावेदन से भी उनकी अनुशासनहीनता परिलक्षित होती है।

विभाग पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है और अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में भी उनके द्वारा उक्त आरोप को स्वीकार किया गया है।

अतः सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा यह पाया गया कि श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में दिया गया तथ्य विचारणीय बिन्दु के अधीन नहीं आता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1980 दिनांक 17.12.2014 द्वारा संसूचित दंड को यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री सुमन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0 डी0–3590), सिंचाई प्रमंडल, नावानगर को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 662-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in